आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
21/8/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा** **न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **विविध वाद सं0-01/2012** **ममता कुमारी बनाम रीना देवी** **आदेश** इस मामले की सुनवाई उभय पक्षों की उपस्थिति में की गयी। आवेदिका ममता कुमारी ने यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा विविध वाद सं0 05/2011-12 में दिनांक 24/02/2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है। आवेदिका ने यह आरोप लगाया है कि विपक्षी रीना देवी ने फर्जी जन्मतिथि के आधार पर गरखा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत साधपुर में विकास मित्र का नियोजन प्राप्त किया है। अपने आरोप को स्पष्ट करते हुए अपीलकर्त्ता ममता कुमारी ने यह कहा कि पूर्व में विपक्षी रीना देवी ने आशा कार्यकर्त्ता के रूप में चयन के समय आठवीं कक्षा की उत्तीर्णता के साथ अपनी जन्मतिथि 05/05/1982 अंकित की थी, जबकि विकास मित्र के नियोजन के लिए उसने मध्यमा उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र के साथ अपनी जन्मतिथि 17/09/1988 अंकित की है। अपीलकर्त्ता का यह भी दावा है कि पूर्व में इस मामले की जाँच प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, गरखा द्वारा की गयी थी, किन्तु विपक्षी रीना देवी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जबकि आशा कार्यकर्त्ता के नियोजन से संबंधित कार्यवाही पंजी में अंकित जन्मतिथि 05/05/1982 के साथ छेड़छाड भी की गयी। विपक्षी रीना देवी ने उपरोक्त आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसने कभी भी अपनी जन्मतिथि 05/05/1982 नहीं बतायी है, बल्कि उसकी जन्मतिथि 17/09/1988 है। इस बात की पुष्टि न केवल उसकी मध्यमा उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र से होती है, बल्कि राजकीय मध्य विद्यालय, कोठेयाँ, जलालपुर के प्रधानाध्यापक के द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र में भी यही जन्मतिथि प्रतिवेदित की गयी है। उसने यह भी कहा कि इस प्रमाण-पत्र का सत्यापन भी कराया जा चुका है। उसने आगे कहा कि आशा कार्यकर्त्ता के चयन के समय उससे किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र नहीं माँगे गये थे और उस	

नियोजन के समय उसकी जन्मतिथि 05/05/1982 किस प्रकार किसने दर्ज की, इससे उसे कोई लेना-देना नहीं है।

पूरे मामले का परीक्षण करने से स्पष्ट है कि विपक्षी रीना देवी की दो जन्मतिथियों के संबंध में कोई भी विधिमान्य प्रमाण नहीं है। आशा कार्यकर्त्ता के चयन के समय कार्यवाही पंजी में अंकित जन्मतिथि, भले ही वह गलत क्यों न हो, की जिम्मेवारी उस पर थोपी नहीं जा सकती है, विशेषकर जब उसने ऐसा कोई दावा नहीं किया था या कोई प्रमाण-पत्र या साक्ष्य नहीं दिया था। रीना देवी की जन्मतिथि का सत्यापन न केवल मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया है, बल्कि मध्यमा परीक्षा प्रमाण-पत्र में भी वही जन्मतिथि अंकित है। इस प्रकार अपील का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में अपील निरस्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21/8/12

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

21/8/12

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2184 / विधि, दिनांक 30.8.12

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को अपने पत्रांक 1387 दिनांक 13-7-2012 द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख संख्या-05/2011 श्रीमति ममता कुमारी बनाम श्रीमती रीना देवी को निष्पादनोपरान्त पुनः वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नक -विविधवाद सं०-05/2011 मूल अभिलेख श्रीमती ममता कुमारी बनाम श्रीमती रीना देवी

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा
28/8/12

0/c